

परिवार के दायरे में महिलाएं

डॉ. ऋतु दीक्षित

एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

दयानन्द आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद

ई-मेल: rdritudixit@gmail.com

सारांश:- परिवार के बिना सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करना कठिन है। इसके उत्पादन, पुनरूत्थान, स्नेही देखभाल व भावनात्मक वातावरण में निवास उपलब्ध कराने की गतिविधियां, अन्य किसी भी संस्था द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। महिलाओं के लिए परिवार वह स्थल है जहां उन्हें सुरक्षा एवं देखभाल अनुभव होती है परंतु वही परिवार वह स्थान भी है जहां महिलाएं अनेक तनाव झेलती हैं। इस तरह की जटिल संस्था बहुधा समाज वैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं द्वारा परखी जाती हैं और पारिवारिक गव्यात्मकता, लेखकों, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रचुर संसाधन उपलब्ध कराती हैं। एक तरफ परिवार को निजी कार्यक्षेत्र के रूप में माना जाता है, परिवार की चारदीवारी के भीतर जो भी हो रहा है, उससे बाहर वाले को कोई मतलब नहीं, फिर भी राज्य, सक्रिय कार्यकर्ता कई अवसरों पर पारिवारिक स्थिति में हस्तक्षेप करते हैं। पारिवारिक सत्ता से पीड़ित महिला, बाहरी एजेंसियों की ओर से पारिवारिक मसले में किए जा रहे हस्तक्षेप का स्वागत करती हैं।

कुंजीभूत शब्द - परिवार, संस्था, सत्ता, सुरक्षा, भावना, तनाव, संसाधन, मीडिया।

कुटुंब : परिवार

साधारणतया जब हम परिवार शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें संबंध, आवास, दायित्व और सांस्कृतिक लोकाचार को शामिल करते हैं, हालांकि परिवार और कुटुंब के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के आवासीय आदर्श मिलते हैं। जनगणना के द्वारा कुटुंब शब्द में जनसंख्या के उस आवासीय इकाइयों को शामिल किया जाता है जहां सामान्यतः इसके सदस्य साथ रहते, खाना बनाते और साथ खाते हैं, छोटों का पालन-पोषण होता और वृद्धों की देखभाल होती है। परिवार, सेबेध ज्यादा है जहां भावनात्मक बन्धन है और अधिकार व कर्तव्यों की आदर्शात्मक संरचना है। कुटुंब एक निवासीय इकाई है जबकि परिवार एक नातेदारी है जो सांस्कृतिक परंपरा और कानून दोनों के द्वारा अपने सदस्यों से अपेक्षित व्यवहार की आशा करता है। इस संदर्भ में कुछ वुमेन स्टडीज़ एकेडमी ने परिवार

और कुटुंब के बीच भेद किया, कुटुंब लिंग पक्षपात करने वाला स्थल है और परिवार अपने सदस्यों के समाजीकरण का साधन है, जिसके द्वारा सदस्य इस अधोगमन व्यवस्था के मूल्यों और विचारधारा को स्वीकार करते और संप्रेषित करते हैं। अतः परिवार के ये परस्पर विरोधी आयाम बहुत जटिल भी हैं और दिलचस्प भी।

वंश के प्रतिमान

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि परिवार में महिला की परिस्थिति काफी हद तक परिवार की संरचना से प्रभावित होती है: कौन परिवार का सदस्य हो सकता है ? कितनी पीढ़ियां परिवार में शामिल हैं ? परिवार में सदस्यों को संपोषित करने वाला कारक क्या है ? विभिन्न वंश व्यवस्था किस प्रकार महिलाओं की भूमिका और परिस्थिति को प्रभावित करती है।

मातृसत्तात्मक वंश व्यवस्था

मातृसत्तात्मक वंश व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें पैदा होने वाले बच्चों (लड़का-लड़की) को मां की वंश व्यवस्था की तरफ से स्थायी सदस्यता मिलती है, और इसमें संबंध महिला की वजह से बनते हैं। अतः बच्चा अपनी पहचान माता द्वारा प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए केरल में 'तारवाड' व्यवस्था, खासियों के मध्य 'कौप' और लक्षद्वीप के मुस्लिमों में भाई के बच्चे उसकी पत्नी की वंशावली से संबंधित होते हैं। विवाह के विषय में यह उल्लेखनीय है कि विवाह के बाद महिला अपने पति के घर नहीं जाती, अतः स्वाभाविक रूप से पति उस घर जाता है, जिसमें उसकी पत्नी अपने अन्य महिला संबंधी और उनके पतियों के साथ रहती है। कुछ दुर्लभ मामले जैसे कि अगर परिवार में कोई लड़की नहीं है, तो ऐसे मामलों के अतिरिक्त इस संपत्ति में बेटों को कोई अधिकार नहीं मिलता। अगर महिला अपनी अपनी स्व-अर्जित संपत्ति के अधिकार का निर्धारण किए बिना मर जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति परिवार की छोटी बेटी को मिलती है (नाँगवरी: 177)। खासी परिवारों की संरचना की एक विशिष्ट विशेषता यह होती है कि महिला संपूर्ण पारिवारिक संपत्ति पर अधिकार रखती है। वे कहते हैं, "युद्ध और राजनीति पुरुषों के लिए है और संपत्ति व बच्चे महिलाओं के लिए"। इस प्रकार मातृसत्तात्मक परिवारों की यह निश्चित विशेषीकृत विशेषता होती है जिसमें महिला के अधिकार और समाज में उनकी भूमिका पर ध्यान दिया जाता है।

पितृसत्तात्मक

पितृसत्तात्मक समाजों में लड़के और लड़की दोनों की सामाजिक पहचान अपने पिता से होती है और पिता के वंश 'कुटुंब' में वे स्थान पाते हैं। परन्तु लड़का इस इकाई का स्थायी सदस्य होता है जबकि बेटी अल्पकालीन या अस्थायी सदस्य के रूप में होती है। बेटा पितृवंश की निरंतरता को बनाए रखने वाला माना जाता है, क्योंकि उसका बेटा, अपने पिता के वंश को चलाता है। संस्कृति, लड़की के विवाह की और लगभग स्थायी रूप से संबंध- विच्छेदन की वकालत करती है। हमारा लोक संगीत और लोक साहित्य इस संदेश से भरा हुआ है। सामान्यतया नजदीक के रिश्तों में विवाह नहीं होते। वास्तव में दक्षिण भारत में हिन्दू समुदायों में मातृवंश के मामा और भांजी के मध्य या ममेरे-फुफेरे भाई-बहन में विवाह के कुछ अपवाद हैं और मुस्लिमों में ममेरे-फुफेरे भाई-बहन या पितृवंश के भाई-बहन के मध्य विवाह भी बेटियों के परिवार में अस्थायी सदस्यता के विचार को प्रभावित नहीं करता।

पितृसत्तात्मक समाजों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता उत्तराधिकार के तरीके और संसाधनों के वितरण की है। शुरुआत से ही पुरुष संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं और पुरुषों के ही द्वारा संपत्ति को हस्तांतरित किया जाता है। वास्तव में पिछले कुछ दशकों के दौरान महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों में बहुत परिवर्तन हुआ है। विशेषकर स्व-अर्जित सम्पत्ति में, परन्तु सांस्कृतिक मूल्यों के आधिपत्य के अनुसार, बेटियां पैतृक संपत्ति पर कानूनी दावा कीर सकती हैं।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था की एक निर्णायक विशेषता उनके निवास स्थान का तरीका है। भारत में आदर्श वैध परिवार पितृवंशीय, पितृस्थानीय संयुक्त परिवार है। इस संदर्भ में संयुक्त परिवार में आर्दशात्मक रूप से पुरुष संबंधी की तीन पीढ़ियां, उनकी पत्नियां और बच्चे रहते हैं। वे आपस में कई जिम्मेदारियां और कर्तव्य बांटते हैं। परिवार के कर्ता द्वारा बेटे और बेटियों के विवाह संबंध, पारिवारिक संपत्ति की व्यवस्था करना, उसको खरीदना, बेचना, दिन-प्रतिदिन के पारिवारिक आचरण सभी को परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों के सहयोग से नियंत्रित किया जाता है।

विवाह के बाद नवविवाहित दुल्हन पितृसत्तात्मक व्यवस्था के इस संगठन में प्रवेश करती है। आवास का यह परिवर्तन अक्सर पीड़ादायक होता है। पति के परिवार के लिए वह बाहरी होती है यद्यपि उसको अपने परिवार (पति के परिवार) में शामिल करने के लिए सभी विशेष धर्मानुष्ठान किए जाते हैं। लंबे समय तक परिवार में रहने के कारण अतरंगी सदस्य बन जाती है और परिवार में आने वाली नई महिला सदस्यों पर प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार करती है। 70 के दशक के महिला आंदोलनों ने परिवार के तरीके के परिणाम से जुड़े सभी मुद्दों को अपने

आंदोलन में शामिल किया। मानक और व्यवहार में से क्या कठिन है? आवास के विषय में, आज्ञाकारिता, पति के परिवार के तौर-तरीकों को आत्मसात करना, पितृसत्तात्मक परिवार के सभी दावों को छोड़ देना और न करने की स्थिति में घरेलू हिंसा को सहना, जो महिलाओं पर किए जाते हैं। पितृसत्तात्मक मूल्य संरचना के परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों उत्पीड़न सहना पड़ता है- जैसे कि दहेज उत्पीड़न, तलाक और पृथकता का लांछन, अपर्याप्त भरण-पोषण, बच्चों की परिरक्षा को लेकर संघर्ष और दिन-प्रतिदिन के अत्याचार।

परिवार के वर्गीकरण के निर्माण के दौरान समाज वैज्ञानिकों को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। लंबे समय से यह विश्वास किया जाता रहा है कि परिवार के मुख्य दो प्रकार हैं- संयुक्त और एकांकी। साठ के दशक से परिवार के ऊपर कई क्षेत्र आधारित अध्ययन संपन्न हुए, जिससे यह पता चलता है कि यहां परिवार के और ज्यादा प्रकार हैं। पॉलिन कालेंडा ने 11 प्रकार के परिवारों को पहचाना जबकि ए.एम. शाह ने छः से सात प्रकार के परिवार माने। अधिकतर संयुक्त परिवार में दो पीढ़ियां रहती हैं परंतु पहले के संयुक्त परिवार में इस तरीके को वरीयता मिलती थी कि सभी भाई और उनके बच्चे संयुक्त निवास में रहें।

परिवार के संदर्भ में एक आश्चर्यजनक वास्तविकता यह है कि महिलाओं प्रधानता वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है, विशेषकर तब जब नौकरी के लिए पुरुष का प्रयास किसी अन्य स्थान पर हो या जब पुरुष काम नहीं करता है और महिला के द्वारा परिवार की देखरेख एवं व्यवस्था की जाती है। यह अनुमान किया जाता है कि भारत में तीन परिवारों में से एक परिवार में महिला ही प्रधान होती है। बहुधा जब महिला काम करने के लिए गांव-शहर से बाहर जाती है तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है और परिवार पृथक हो जाता है।

निष्कर्ष:- पारिवारिक समाजशास्त्रियों ने यह अवलोकन किया कि संयुक्त परिवार का प्रतिरूप प्रायः उंची जातियों में, व्यापारिक समुदायों में और ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भूमिधारियों में दिखाई देता है। अत्यधिक गरीब समुदायों और आदिवासियों के मध्य साधारणतया एकांकी परिवार का प्रतिरूप प्रचलित होता है। वास्तव में कुछ दशकों से, शहरी मध्य वर्ग, विशेषकर शिक्षित और व्यवसायिक वर्ग एकांकी परिवार के प्रतिरूप को पसंद करने लगे। इसकी तुलना में, अर्थव्यवस्था में दुरतगामी परिवर्तन, वैवाहिक रिश्तों के स्वरूप में बदलाव एवं व्यक्तिवादिता के उदय ने समाज से एकल अभिभावक परिवारों को निकाल दिया जिसमें माता और बच्चे या पिता और बच्चे साथ रहते थे। उसी प्रकार शहरों में ऐसे परिवार दुर्लभ नहीं हैं जहां एकल महिला रहती है। इस परिवार पर या परिवार के या कुटुंब के एक प्रकार पर विचार-विमर्श बहुत कठिन है।

संदर्भ-सूची

1. लीला दूबे(2001),“ एंथेपोलॉजिकल एकस्प्लोरेशन इन जेंडर, इंटरसेक्टिंग फील्ड,सेग पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. उषा कान्हारे (1989) लड़के और लड़कियों में विभेदक समाजीकरण: अहमदाबाद में गंजराती जाति/समुदायों में निम्न सामाजिक - आर्थिक परिवारों पर अध्ययन।
3. मैत्रेयी कृष्णाराज (1991), “वुमेन एंड साइंस-सलेक्टेड एसेज”, हिमालयन पब्लिशिंग हाउस, मुंबई।
4. इला पाठक (2001) -“महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का परिणाम”, अहमदाबाद।
5. प्रवीण विसारिया (2001)- “डेमोग्राफिक ऑफ ऐजिंग इन इंडिया इन इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली” खंड XXXVI, नं. 22, जून 2।